



2026:AHC: 56013

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5633/2026

नितिन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : भेषज पुरी, शैलेश अग्रवाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री भेषज पुरी, और राज्य की ओर से विद्वान होल्डींग ब्रीफ अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया।

2- वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना जमुनापार, जिला मथुरा में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 283 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धारा 333, 191(2), 125, 115(2), 118(2), 352, 351(3) के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।

4- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, यद्यपि अभिकथन के अनुसार आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला किया और जिसके कारण एक व्यक्ति को चोट आई और अभिकथन के अनुसार आवेदक ने घायल को ईंट से आंख में चोट पहुँचाई, लेकिन आवेदक पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।

5- वह आगे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि, वास्तव में सूचनादाता पक्ष और आवेदक पक्ष के बीच कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था और हाथापाई के दौरान घायल की आंख पर चोट आई और उसके बाद वर्तमान वाद की एफ.आई.आर. दर्ज की गई। उन्होंने आगे तर्क दिया कि, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 26.09.2025 से यानी पिछले लगभग छह माह से कारागार में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया।

8- यद्यपि, अभिकथन के अनुसार आवेदक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर हमला किया जिसके कारण एक व्यक्ति को चोटें आईं और अभिकथन के अनुसार आवेदक ने घालय को ईंट से आंख में चोट पहुँचाई, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से इस स्तर पर पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है।

9- इसके अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 26.09.2025 से यानी पिछले लगभग छह माह से कारागार में है।

10- इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

11- तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

12- पूर्वोक्त वाद में शामिल आवेदक- **नितिन** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

13- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



14- यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17 मार्च, 2026

शहरोज़

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।